NABARD

संदर्भ सं. राबैं.डॉस./पॉल/ 1173 /जे-1/2019-20
13 जून 2019

परिपत्र सं.171/ डॉस-16/ 2019

प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्य सहकारी बैंक
सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

'ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त राशि' पर लागू जोखिम भार

हमें कुछ सहकारी बैंकों से 'ऋण माफी योजना, 2018 के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्य राशि' पर जोखिम भार लगाए जाने के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं.

2. हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस मामले की जांच की है और इस संबंध में निम्नानुसार सूचित करते हैं-

i. सीआरएआर की गणना के लिए ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्य राशि पर शून्य जोखिम भार लगाया जाएगा, बशर्ते राज्य सरकार द्वारा भुगतान अनुसूची उपलब्ध कराई गई हो और राज्य सरकार ने इस अनुसूची का पालन किया हो. यह उल्लेख है कि भुगतान अनुसूची का उल्लंघन करके प्राप्त राशि के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा.

ii. राज्य/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ऋण माफी योजना से संबंधित 'राज्य सरकार से प्राप्य राशि' को 'अदर असेट्स' के तहत एक अलग उप-शीर्ष 'राज्य सरकार से प्राप्य राशि' के रूप में रिपोर्ट करें.

3. अन्य मदों की जोखिम भारिता भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 29 अक्तूबर 2014 के परिपत्र सं आर॰पी॰सी॰.डी॰आरसीबी.बीसी.सं॰37/07॰51॰012/2014-15 में इंगित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

4. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवायें.

भवदीय

31/2219

(के आर राव)
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 1834 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 1834 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org